

● SETTLEMENT OF DUES TO ATC TELECOM

Vi board to seek nod for bond issue on Jan 31

Move comes after similar proposal lapsed on Dec 6

FE BUREAU
New Delhi, January 26

VODAFONE IDEA (VI) will seek fresh approval from its shareholders on January 31 on its proposal to settle ₹1,600-crore dues to equipment vendor ATC Telecom Infrastructure, through issuance of equity convertible debt bonds, according to an exchange filing by the company on Thursday.

The update from the company comes after its earlier, similar proposal lapsed on December 6, in the absence of communication from the government on converting Vodafone Idea's deferred accrued interest dues into equity.

The equity conversion by the government was one of the conditions set by ATC to accept bonds for settling its dues.

Last month, both ATC and Vodafone Idea mutually decided to extend the last date of the agreement on the bond issuance proposal to February 28, 2023.

"We wish to inform you that a meeting of the board of directors of the company is scheduled to be held on Tuesday, January 31, 2023, in relation to the said preferential issue of OCDs (optionally convertible debentures) to ATC and to convene the extraordinary general meeting of the company to seek approval of the shareholders in this regard," Vodafone Idea said.

In an exchange filing last month, the telecom operator also said that the issuance of bonds to ATC is again subject to the conversion of interest dues into equity by the government. The company has



DEBENTURE PLAN

■ The firm will seek fresh approval from its shareholders on January 31 on its proposal to settle ₹1,600-crore dues to equipment vendor ATC

■ Last month, both ATC and Vodafone Idea mutually decided to extend the last date of the agreement on the bond issuance proposal to February 28

opted for converting about ₹16,000 crore of interest liability payable to the government into equity, which will amount to around 33% stake in the company while promoters' holding will come down from 74.99% to 50%.

However, the government has clearly indicated that the equity conversion will happen only when the promoters infuse money into the company first.

Vodafone Idea owes about ₹3,000 crore to its tower vendor ATC. In November, the company had received approval from its shareholders for issuance of up to 16,000 OCDs having a face value of ₹1 million each, in one or more tranches. The amount, if unpaid in 18 months, would also give an option to ATC to convert the dues into equity at a price of ₹10 per share.

The equity convertible debt bonds will also carry a coupon rate of 11.2% per annum payable every six months during its term.

"As the company has not received any communication from the Government of India on such conversion (interest dues conversion into equity), the issuance of OCDs to ATC has not been com-

pleted, within the validity period of the shareholders resolution (ie 15 days from the date of passing of the resolution). Accordingly, the shareholders' resolution has lapsed," Vodafone Idea had said in an exchange filing.

Lately, both ATC and Indus Towers had expressed concerns over Vodafone Idea's ability to clear its dues. For ATC, the shortfall in payments from Vodafone Idea was about ₹392 crore in the July-September quarter.

"Based on indications from VIL (Vodafone Idea), we expect to defer recognition of a similar amount for the three months ended December 31, 2022, pending resolution. VIL has communicated its intent to fulfil the full amount of its contractual obligations commencing January 1, 2023, although no assurance can be given that this will occur," ATC had said in a filing to Securities Exchange Commission.

On the other hand, Indus Towers recently said the company has paid the amount till December with regard to the agreed payment plan, but going forward, it has indicated challenges in complying with the higher payment plan.

Bharat Biotech's nasal Covid vaccine launched

FE BUREAU
Pune, January 26

INDIA ON THURSDAY got its first-ever intranasal vaccine iNCOVACC, developed by Hyderabad-based Bharat Biotech. The vaccine was launched by Union health minister Mansukh Mandaviya and science and technology minister Jitendra Singh on the occasion of Republic Day.

iNCOVACC is now available on the CoWIN platform and has been priced at ₹800 for private markets and ₹325 for supplies to central and state governments. It is also the world's first intranasal Covid-19 vaccine to receive approval for the primary two-dose schedule, as a heterologous booster. It is developed by Bharat Biotech International.

The rollout of iNCOVACC is expected to begin in private hospitals that have placed advance orders. An initial manufacturing capacity of several million doses per annum has been established, which can be scaled up to a billion doses as required, the company said.

Bharat Biotech developed the vaccine in collaboration with Biotechnology Industry Research Assistance, a PSU under the department of biotechnology, ministry of science and technology. Product development and clinical trials for iNCOVACC were funded by the government's Covid Suraksha Programme. iNCOVACC was developed in partnership with Washington University, St Louis, US, which had designed and developed the recombinant adenoviral vectored construct and evalu-



iNCOVACC is the world's first intranasal Covid-19 vaccine to receive approval for the primary two-dose schedule as a heterologous booster

ated it in preclinical studies for efficacy.

The health minister said India's vaccine manufacturing and innovation capability was being appreciated all over the world and over 65% of vaccines supplied in the world were from India.

Bharat Biotech had, in collaboration with the ICMR, introduced Covaxin in India within a month of the launch of the first Covid vaccine in the world, Mandaviya said.

Singh said India had taken a lead in developing vaccines and medicines for diseases common in the developing world. "The next step would be to develop vaccines for non-communicable diseases," Singh said.

Nokia India sales jump over twofold

FE BUREAU
New Delhi, January 26

FINISH TELECOM EQUIPMENT-MAKER Nokia on Thursday reported a 129% y-o-y increase in sales at ₹568 million (about ₹5,043 crore) from its India business, on the back of 5G rollout in the country by telecom operators Bharti Airtel and Reliance Jio.

In constant currency terms, the sales grew 11.6% from ₹248 million (about ₹2,203 crore) in the year-ago period.

With a strong surge in sales, Nokia's business from India during the quarter grew the highest among all its other markets, including North America, Europe, China, Asia Pacific and others. India contributes over 5% to Nokia's yearly revenues.

Nokia is a key network roll-out partner for telecom operators in India. For 5G deployment in the country, the company has also bagged multi-year contracts from both Jio and Airtel to supply equipment from its AirScale portfolio, including base stations,



high-capacity 5G antennas, network software and remote radio heads, among others. "The strong growth in net sales in India was related to Mobile Networks as 5G deployments started to ramp in the fourth quarter (October-December)."

"Network Infrastructure also saw strong growth driven by both optical networks and fixed networks," the company said. For the complete year 2022, Nokia India sales grew 15% in constant currency terms to ₹1,290 million (about ₹11,467 crore).

Taking into consideration all markets, Nokia's sales grew 11% y-o-y to 7,449 million euros (about ₹66,224 crore) in the October-December quarter.

EatSure smart food court opens in Pune

GEETA NAIR
Pune, January 26

REBEL FOODS, WHICH focused on cloud kitchens and online restaurant brands, is adding offline dining to its menu as it seeks to follow an omnichannel strategy.

The company opened its first-of-its-kind smart food court, EatSure, with 15 brands across food categories under a single roof on Law College Road in Pune. This will be the flagship store spread across 3,000 sq ft offering a digital customer experience.

EatSure was building its omnichannel presence. The EatSure app has seen five million downloads

EatSure aims to open 100 offline stores in different categories in the next 2 years

in 75 cities. EatSure aims to open 100 offline stores in different categories in the next two years.

Sagar Kochhar, co-founder, Rebel Foods, said the EatSure smart food court will help enable the entry of thousands of new customers into the EatSure ecosystem. They plan to have multiple food formats.

Pune-based Rebel Foods raised \$175 million in the Series F round led by Qatar Investment Authority, with

participation from existing investors Coatue and Evolve in October 2021. This funding led the Sequoia-backed start-up to become a unicorn.

Kochhar said the company is planning an IPO in 2024 and the omnichannel strategy will pave the way to profitability. The company posted sales of ₹859 crore and a loss of ₹564 in FY22. According to Kochhar, the brick-and-mortar F&B space offers limited options while the traditional food court features many brands, customers must wait in long queues at each outlet where someone's order may arrive before others, hampering the experience.

FIR against GTL over fraud charges

THE CENTRAL BUREAU of Investigation (CBI) has registered an FIR against directors of GTL and others for allegedly defrauding a consortium of banks of around ₹4,500 crore.

The FIR reads that a written complaint has been submitted by a CBI inspector against GTL, its unknown directors, unknown bank officers/public servants and

unknown private persons, including vendors and beneficiary group companies pursuant to a preliminary inquiry conducted by him.

The fraud allegedly took place between 2009 and 2012.

The complaint has revealed that GTL had fraudulently obtained various credit facilities from banks and subsequently diverted/siphoned off

the majority of the loan amount in a conspiracy with its vendors and unknown bank officers.

As per the allegations, various vendors were created and operated with the malafide intention of siphoning off the bank's short-term funds and other credit facilities in connivance with the borrower i.e. GTL.

—ANI

MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED						
Registered Office: TC No.14/20747, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034, CIN No. - U65922KL2010PLC025624. Corporate Office: 12/A 01, 13th floor, Parinee Crescendo, Plot No. C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G block (East), Mumbai-400051 TEL. No: 022-62728517, Authorised Officer Email ID: authorised.officer@muthoot.com, Contact Person - Govind Ram Sharma - 9212443181.						
PUBLIC NOTICE – AUCTION CUM SALE OF PROPERTY						
Sale Of Immovable Assets Under Securitization And Reconstruction Of Financial Assets & Enforcement Of Security Interest Act, 2002 In exercise of powers conferred in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Authorized Officer of the Muthoot Housing Finance Company Ltd., (hereinafter referred to as the "Company") has taken the possession of under mentioned properties (hereinafter referred to as "Secured Asset") and held as security in respect of HOUSING Loan facilities granted to below mentioned customers (hereinafter referred to as "Borrowers") and further it has been decided to sell the Secured Asset on "as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "no recourse" basis/conditions by inviting sealed tenders from public in respect of the secured debt amounting to amount in below with further interest and expenses thereon till final payment of the overdue from Borrowers.						
Sr. No.	Name of Borrowers/LAN	Description of property	Possession Type & Date	Total O/s Amount (Rs.) Future Interest Applicable	Reserve Price (Rs.)	E.M.D. (Rs.)
1	LAN No.: 15100002238 Shyam Lal Dharmender Kumar	All That Part And Parcel Of The Property Bearing Flat No B-213, Second Floor, Tower No -16, Block No -16, Dinesh Nagar, Near Mohalla Rampur Pilihuwa, Pargana - Dasna, Tehsil - Dhollana, Distt - Hapur, Uttar Pradesh - 245304 Having Super Built Up Area Of 975 Sq. Ft.	Physical Possession - 16-Dec-2022	Rs.11,37,747/- as on 25-January-2023	9,36,000/-	93,600/-
Inspection Date & Time : 10-February-2023 & 11-February-2023 at 10.00 AM to 05.00 PM Auction Date: 28-February-2023 10.00 AM to 03.00 PM & Last date for Submission of Bid: 27-February-2023 Place of Sale Ghaziabad Branch: 1st Floor, LGF B-2, RDC, Rajnagar, Near SBI Bank, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001						
Intending bidders may inspect the properties on the date and time as mentioned above. Terms & Conditions of public auction:- 1) Sale is strictly subject to the terms and conditions mentioned hereunder as per extant guidelines under SARFAESI Act, 2002 & also the terms and condition mentioned in the offer/ tender document to be submitted by the intending bidders. 2) The property will be sold on "As is where is" and "As is what is" "whatever there is" and "no recourse" condition, including encumbrances, if any. 3) The properties under auction can be inspected on the date & time specified above. For any queries with regards to inspection of properties or submission of tenders, kindly establish contact to The Authorized Officers at respective locations on above mention contact numbers. The interested buyers may send their offers for the above property in a sealed cover along with Demand Draft Payable at Mumbai favoring "Muthoot Housing Finance Company Limited", towards earnest money deposit (EMD) 10% of Reserve Price. 4) Along with offer documents, the intending bidder shall also attach a copy of the PAN card issued by the Income Tax department AND bidder's identity proof and the proof of residence such as copy of the Passport, Election Commission Card, Ration Card, Driving license etc. 5) In no eventuality the property would be sold below the reserve price. 6) The bidders present in the auction would be allowed to increase their offer multiples of Rs. 10000/- in addition to Reserve Price fixed. 7) All dues and outgoings, i.e., Municipal Taxes, Maintenance / Society Charges, Electricity and water taxes or any other dues including Stamp Duty, Registration Charges, Transfer Charges and any other expenses and charges in respect of the registration of the Sale Certificate in respect of the said properties shall be paid by the successful bidder/purchaser. 8) The successful bidder/purchaser shall have to pay 25% of the final bid amount (after adjusting 10% of the E.M.D. already paid) within next working days from the acceptance of the offer by the Authorized Officer in respect of the sale, failing which, the earnest money deposit will be forfeited. 9) The balance 75% of the Sale price shall have to be paid within 15 days of conveying the confirmation of the sale to the successful Purchaser by the Authorized Officer or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorized Officer. 10) The Authorized Officer reserves his right to vary any of the terms and condition of this notice for sale, without prior notice, at his discretion. 11) In case, all the dues together with all cost, charges and expenses incurred by the Secured Creditor are tendered by the above name borrower / co-borrower till one working day prior to the date of Auction then the property will not be sold and all the bids received from the prospective bidders shall be returned to them without any liability / claim against Muthoot Housing Finance Company Ltd. The borrower/guarantor/mortgagee of are hereby given STATUTORY 30 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) & 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules of SARFAESI Act to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with upto date interest and expenses within above mentioned days from the date of this notice failing which the Secured Asset will be sold as per the terms and conditions mentioned above. Borrowers/are also requested to remove their uncharged belongings from the property within 30 days' time else it will be removed from property on their risk and cost.						
Place : Hapur Date: 27-January-2023			Sd/- Authorised Officer For Muthoot Housing Finance Company Limited			

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED			
418, 4th Floor, Pearl Omaxe Tower-2, Netaji Subhash Place, Pitampura Delhi 110034			
SYMBOLIC POSSESSION NOTICE			
Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice was issued on the dates mentioned against each account and stated hereinafter calling upon the borrower (hereinafter the borrower and guarantors are collectively referred to as "The Borrowers") to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section 4 of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this the dates mentioned against each account. The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED for an amount and future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental expenses, costs, charges, etc. thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.			
Sr. No.	Name of Borrowers/ Guarantors	Demand Notice Date Date of Possession	Amount Outstanding Details of Immovable Property
1	Application No. DL/DEL/DLH/A000000121& DL/DEL/DLH/A0000001131 Mr. Devendra Dhyani & Mrs. Suneeta Dhyani, both at: 7D-2/65, Ram Park Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201102	10-10-2022 21-01-2023 SYMBOLIC	₹ 14,35,647/- as on 17-08-2022 & 18-08-2022 plus interest thereon Flat No. SF-02, Second Floor, Area Measuring 60 sq. Yards, Plot on Kharsa No. 399, Prem Vihar II/rd Village, Sadullabad, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Bounded as: East - Plot of other Owner, West - Road 20 ft Wide, North - Plot of other, South - Plot of other
2	Application No. DL/DEL/DLH/A000000279& DL/DEL/DLH/A0000001059 Mr. Om Prakesh Gola & Mrs. Kalpana, both at: House No. B-3/3, Main Wazirabad Road, Bhajanpura, Delhi, India-110053. Also at: B-4/78, Plot No. 78, Block B-4, 2nd Floor, Yamuna Vihar, Shahdara-110053	29-06-2022 21-01-2023 SYMBOLIC	₹ 25,77,789/- as on 28-05-2022 plus interest thereon Entire Second Floor Without Roof Right Out of Plot No. B-4/78, Area Measuring 70 Sq. Mtrs., Yamuna Vihar, Delhi-110053
3	Application No. DL/DEL/DLH/A000000022 & DL/DEL/DLH/A0000001132 Mr. Mukesh & Mrs. Vimlesh, both at: House No. 10, Vikas Kunj, Vilg., Behta Hapur, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201102	12-10-2022 21-01-2023 SYMBOLIC	₹ 16,60,416/- as on 17-08-2022 plus interest thereon Residential Vacant Plot No. 140/2, area measuring 60 sq. Yards, Out of Kharsa No. 79 min, Vikas Kunj Colony, Behta Hapur, Pargana Loni, Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh, Bounded as: East-Plot No. 141 of Sh. Rampal, West - Part of Plot, North - Rasta 20 ft wide, South - Plot No. 140/1 of Sh. Chandar
4	Application No. DL/DEL/DLH/A0000000262 Mr. Pawan Kumar & Mrs Tara Devi, both at: House No. 486/A-1, Ration Office, Bhole Nath Nagar, Shahdara, Delhi-110032	15-12-2021 21-01-2023 SYMBOLIC	₹ 48,47,133/- as on 09-12-2021 plus interest thereon Property No. 486/A-4, New No. 486/2-C, Kharsa No. 634/2, Land Area measuring 73.33 Sq. Yard, Situated at Village Chandrawali, Alias Shahdara in the abadi of Bhole Nath Nagar, Shahdara, Delhi-110032, Bounded as: East - Road, West - Gall 8ft, North - Property other, South - Property other
5	Application No. DL/DEL/DLH/A0000000174 Mr. Puneet & Mrs Jamuna Devi, both at: 10-B/10, Shiv Mandir, Gali No. 7, Maujpur, Delhi-110053	17-08-2021 21-01-2023 SYMBOLIC	₹ 16,63,087/- as on 12-08-2021 plus interest thereon Flat No. 206, First Floor, constructed on property bearing no. 13 & 14, area measuring 201.66 sq. Yards + 240 sq. Yards= 441.66 sq. Yards situated at Manish Vihar, Village Loni, Pargana Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Bounded as: East -30ft Wide Road, West - 30ft Wide Road, North - Plot No. 12, South - 30ft Wide Road
6	Application No. DL/DEL/DLH/A0000000132 Mr. Subodh Kumar & Mrs Sunita Devi, both at: 1201, Rang Puri, South-West, Delhi, New Delhi-110037	25-04-2022 24-01-2023 SYMBOLIC	₹ 29,74,422/- as on 23-03-2022 plus interest thereon Third Floor bearing Pvt No. T-1, which is built towards eastern side (i.e. Front Side) portion of property bearing No. RZF-99/1 total extent 96 sq. Yrds or 79.45 sq Mtr. On free hold plot No.28, without roof rights, out of Kharsa No. 694/481, situated in the abadi known as Sadh Nagar, Palam Colony, F-Block area of Village Nasirpur Delhi, Bounded as: East - Road 20 ft, West - Gall 8ft, North - Other property, South - Property of Ram Lal Sharma
Dated : 27-01-2023, Place : Delhi		Authorised Officer, HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED	

FORM NO.3 [See Regulation-15(1)(a)] / 16(3)	
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)	
1st Floor SCO 33-34/35 Sector-17 A, Chandigarh (Additional Space Allotted on 3rd & 4th Floor also)	
Case No.: OA/ 110 /2020	
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh.No.15560	
CENTRAL BANK OF INDIA VERSUS M/S CLUB CAFFE	
To, (1) M/S CLUB CAFFE SMT. KAMALJIT KAUR a Proprietorship concern at 219, Jawahar Lal Nehru Youth Center, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi-110002, through its Proprietor Smt. Kamaljit Kaur. IInd Address:- At Swasthya Vihar Club, Vikas Marg, Delhi-110092. Gurgaon, HARYANA Also At: M/S CLUB CAFFE (2) SMT. KAMALJIT KAUR Wife of SHRI PARTAP SINGH, PROPRIETOR OF M/S. CLUB CAFFE, Resident of A-22, Badarpur Extension, Badarpur Border, New Delhi-110044. PAN No. BAAPK4403Q. Also At: Smt. Kamaljit Kaur Wife of Shri Partap Singh R/o 219, Jawahar Lal Nehru Youth Center, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi-110002. Also At: Smt. Kamaljit Kaur Wife of Shri Partap Singh At Swasthya Vihar Club, Vikas Marg, Delhi-110092.	
SUMMONS	
Whereas, OA/110/2020 was listed before Hon'ble Presiding Officer / Registrar on 16/12/2022.	
WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons / notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of Debts of Rs.32,95,454.40 (application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under :-	
(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.	
(ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application.	
(iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.	
(iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal.	
(v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.	
You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 03.05.2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.	
Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date 12/01/2023. Signature of the Officer Authorized to issue Summons	
Note: Strike out whichever is not applicable.	

शराबखोरी को हतोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति लाएंगे : चौहान

जबलपुर, 26 जनवरी (भाषा)।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शराब पीने की आदत को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नई आबकारी नीति लाने वाली है। इसके अलावा उन्होंने लोगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करने की अपील की।

चौहान ने 74वें गणतंत्र दिवस पर यहां गैरिसन ग्राउंड पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम नई शराब नीति लाने वाले हैं। उसमें नशे की आदत को हतोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करेंगे। चौहान ने नशामुक्त समाज को जरूरी बताते हुए इसके लिए लोगों से योगदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाने का काम हम मध्य प्रदेश की धरती पर कर रहे हैं। मैं रोज पेड़ लगाता हूं। आप (मध्य प्रदेश की जनता) अपने जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह एवं अपने माता-पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाएं।

चौहान ने कहा कि हम आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप सबका (मध्य प्रदेश की जनता) सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि कोई न कोई एक काम जरूर अपने हाथ में लें। कोई पेड़ लगाए, कोई पानी बचाए, कोई नशामुक्त समाज बनाने में योगदान करे, कोई ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ की योजना के क्रियान्वयन में लगे, कोई बेटियों का सम्मान एवं सुरक्षा बढ़ाने का काम करे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पहला ‘ग्लोबल रिकल पार्क’ भोपाल में है और दूसरा ‘ग्लोबल रिकल पार्क’ जबलपुर में बनया जाएगा। चौहान ने कहा कि जबलपुर नगर निगम को सीमा के अंतर्गत नया औद्योगिक शहर रंझी तहसील के ग्राम भटोली के पास बसाया जाएगा और इसके लिए 820 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है।

खुशी जताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं : रतन चंद्र कार

पोर्ट ब्लेयर, 26 जनवरी (भाषा)।

डा. रतन चंद्र कार को 1998 में अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा एक दूरस्थ द्वीप में खसरे जैसी बीमारियों के प्रकोप से पीड़ित जारवा जनजाति के लोगों के इलाज के लिए भेजे जाने से उनका पूरा परिवार परेशान हो गया था। तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी कार इसके बाद कदमतला और लखरालुंगटा में जारवा जनजाति समूह के लोगों का इलाज करने लगे और अंततः उनके साथ घुल-मिल गए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से पद्म श्री सम्मान के लिए चुना गया। उन्होंने कहा, अपनी खुशी जताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं यह उपलब्धि हासिल करने में मेरी मदद करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। डा. कार की पत्नी अंजलि ने अपने पति से जारवा लोगों के इलाज की चुनौती स्वीकार

लोकतंत्र में सभी को अपनी पार्टी के विस्तार का अधिकार : उद्धव ठाणे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कहा कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को किसी राजनीतिक दल का प्रचार करने और संगठन के विकास के लिए कार्यों को बढ़ाने का अधिकार है। वह आज ठाणे शहर में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की यात्रा के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। पिछले साल शिवसेना के विभाजन के बाद यह ठाकरे की पहली ठाणे यात्रा है। ठाणे शिंदे का हड़ माना जाता है जो इस जिले की कोपरी-पंचपाखंडी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि ठाकरे पार्टी के दिवंगत नेता आनंद दिघे की जयंती की पूर्वसंध्या पर ठाणे के शिवाजी मैदान में पार्टी द्वारा आयोजित विशाल चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करेंगे। दिघे को मुख्यमंत्री शिंदे का राजनीतिक मार्गदर्शक माना जाता है।

तमिलनाडु के राज्यपाल ने फहराया तिरंगा

चेन्नई, 26 जनवरी (भाषा) ।

देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में यहां गुक्वार को तिरंगा फहराया।

ध्वजारोहण के दौरान हेलिकाप्टर से ध्वज पर पुष्प वर्षा की गई। शहर के मरीना बीच पर लेबर स्टैच्यू के पास आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, पुलिस, होमगार्ड और एनपीसी (राष्ट्रीय केडेट और सदस्यों ने मार्च किया।

इसके अलावा एक आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और फिर राज्यपाल का स्वागत किया।

ट्वीट करने के बजाय पार्टी मंच पर बात रखें कुशवाहा : नीतीश

पटना, 26 जनवरी (भाषा)।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जद (एकी) संसदीय बोर्ड के असंतुष्ट अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को सलाह दी कि वे अपनी शिकायतों को मीडिया के माध्यम से उल्लेखित करना बंद करके उसे पार्टी मंच पर उठाएं।

कुमार ने यह बात तब कही जब पत्रकारों ने उनसे एक दिन पहले कुशवाहा के एक ट्वीट के बारे में सवाल किया। कुशवाहा ने मंगलवार को ट्वीट किया था, ‘बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने...! ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका (छोटे भाई) को घर से भगाकर बाप-दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाएं अपना लिक्का छोड़कर...?’ परोक्ष तौर पर अप्रसन्न प्रतीत हो रहे कुमार ने कहा, ‘उन्हें यह समझना चाहिए कि वे पार्टी से अलग होने के बाद तीसरी बार पार्टी में लौटे हैं, लेकिन उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया गया। यदि उन्हें कोई शिकायत है तो उन्हें वह पार्टी के भीतर

कहा, कुशवाहा को यह समझना चाहिए

कि वे पार्टी से अलग होने के बाद तीसरी बार पार्टी में लौटे हैं, लेकिन उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया गया।

जाहिर करना चाहिए। आपको अपने विचार मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक नहीं करने चाहिए।' कुशवाहा 2021 में अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) का विलय करके जद (एकी) में लौट आए थे और उन्हें तुरंत पार्टी का शीर्ष पद दिया गया और कुछ ही समय बाद विधान परिषद की सदस्यता दी गई थी। पटना में गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर कुमार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने समर्थन किया जो उनके पक्ष में खड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता यादव ने कहा, ‘मैंने (कुशवाहा का) एक ट्वीट देखा और वे क्या कहना चाहते हैं, इस पर टिप्पणी नहीं

कर सकता। हालांकि मेरी भी राय है कि अगर वह अपनी पार्टी से संबंधित कोई भी मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना चाहिए।' कुशवाहा की नाराजगी तब से स्पष्ट हो गई है जब कुमार ने यादव के अलावा किसी अन्य को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना को खारिज कर दिया था। यादव को कुमार ने वस्तुतः सत्तारूढ़ ‘महागठबंधन’ का भावी चेहरा घोषित किया है। यादव से यह भी पूछा गया कि क्या पार्टी विधायक सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिन्हें हाल ही में मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए कारण

इस पर यादव ने कहा कि राजद के संविधान के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर कारण बताओ जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। हम अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा करेंगे। पार्टी के हितां के खिलाफ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कार्रवाई का सामना करने के लिए बाध्य है।

से लेंथ थे। मैं नाव से उतर कर धीरे-धीरे उनकी ओर चलने लगा। मैं डरा हुआ था।. मैं धीरे-धीरे चल रहा था, बाकी जारवा मेरे पीछे-पीछे चलने लगे।

<div>प्रपत्र सं.3 [ब्रितियमन-15(1)(ए)]/16(3) देखें</div> <div>ऋण वसूली अधिकरण चण्डीगढ़ (डीआरटी-2)</div> <div><i>बहाल तब एमसीडी 33-34 सेक्टर-17ए, पंचायत (नीतीश और मोदी फॉरम पर श्री अर्जुनसिंह स्वयं आंदोलन)</i></div>
<div>केस नं.: ओए/110/2020</div> <div>ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप-नियम 2(ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन</div> <div>Exh. No.15560</div>
<div>सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया</div> <div>बनाम</div> <div>मैसर्स क्लब कैफे</div>
प्रति, <div><p>(1) मैसर्स क्लब कैफे</p><p>श्रीमती कमनजीत कौर</p><p>एक स्वातिव्यवहारक कंपनी, जो 219, जवाहर लाल नेहरू यूथ सेंटर, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 में स्थित है, अपनी स्वाामिनी श्रीमती कमलजीत कौर के माध्यम से। द्वितीय पता – स्वास्थ्य विहार क्लब, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 गुडगांव, हरियाणा</p><p>अन्य पता यहां पर भी : मैसर्स क्लब कैफे</p></div>
<div>श्रीमती कमलजीत कौर</div> <p>पत्नी श्री प्रताप सिंह, मैसर्स क्लब कैफे की स्वामिनी, पता : ए-22, बदरपुर एक्सटेंशन, बदरपुर लॉडर, नई दिल्ली-110044, पैन नं.: बीएएपीके4403यू</p> <p>अन्य पता यहां पर भी : श्रीमती कमलजीत कौर पत्नी श्री प्रताप सिंह</p> <p>पता : 219, जवाहर लाल नेहरू यूथ सेंटर, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002</p> <p>अन्य पता यहां पर भी : श्रीमती कमलजीत कौर पत्नी श्री प्रताप सिंह</p> <p>पता : स्वास्थ्य विहार क्लब, विकास मार्ग, दिल्ली-110092</p>
<div>संमन्स</div> <p>जबकि, ओए/110/2020, दिनांक 16/12/2022 को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के सम्मक्ष सूचीबद्ध किया गया था।</p> <p>जबकि, यह माननीय अधिकरण रू. 32,95,454.40 / – के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स/सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (आवेदन, प्रलेखों इत्यादि की प्रतियों के साथ संलग्न है)।</p> <p>अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात् प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि:-</p> <p>(i) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर कारण हमें बचाव/दिखाए कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए।</p> <p>(ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संसप्तियों एवं परिसप्तियों के अतिरिक्त अन्य संसप्तियों को इसकी-आय के लिए उत्तरदायी होने और ऐसी बिक्री-आय को, ऐसी परिसप्तियों पर प्रतिभूति हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुपस्थित खाने में जमा करेंगे।</p> <p>आपको, लिखित विवरण, आवेदक को इसकी एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, प्रस्तुत करने और 03-06-2023 को पूर्वाह्न 10:30 बजे रजिस्ट्रार के सम्मक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनाववाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय ले लिया जाएगा।आज दिनांक 12-01-2023 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के तहत निर्गत।</p>
<div>सम्मन जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी को हस्ताक्षर</div> <div>डिप्टी: सी भी लागू ना हो छोड़ दें।</div> <div>DRT 20 8 AKS (1)</div>

<div>प्रपत्र ए</div> <div>सार्वजनिक घोषणा</div> <div>[भारतीय दिवाला और शोधन अधमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अधमता समाधान प्रक्रिया)] ब्रितियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन।</div>	
सूच्यांशक रिसेसॉज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ संचालित विवरण	
1. कार्पोरेट देनदार का नाम	सूच्यांशक रिसेसॉज प्राइवेट लिमिटेड
कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	03 जुलाई, 2008
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निर्मापित / पंजीकृत है।	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U40300HR2008PTC038120
कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय: 1198, सैक्टर-7डी, कीर्तिदाबाद, हरियाणा। नई दिल्ली – 110019
कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अधमता आरम्भण तिथि	24 जनवरी, 2023
ऋण शोध अधमता समाधान प्रक्रिया के समाधान की पूर्वानुमानित तिथि	23 जुलाई 2023
8. अतिरिक्त समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्रवार ऋण शोध अधमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम : देवेन्द्र उमराव पंजी. सं.:BBB/MPA-003/IF-N00223/2019-2020/12640 एफएमई वैश : 10 नवंबर, 2023 तक
9. अतिरिक्त समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	बी-43ए, पड़ौसी मंजिल, कालकाजी, नई दिल्ली –110019 ईमेल :devumraoibc@gmail.com
10. अतिरिक्त समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	टीॉवर ए, घाउड प्लोय, युनिट नंबर 14, द कॉरियम, सैक्टर 62, नोएडा – 201301, उत्तर प्रदेश ईमेल :cirp.suryashakti@gmail.com
11. दावा प्रस्तुत करने हेतु अतिम तिथि	07 फरवरी, 2023
12. अतिरिक्त समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-धारा (6)(क) के तहत अतिमिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई।	लागू नहीं
13. किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अधमता प्रोफेशनल का नाम (प्रसिद्धि अधीन के लिए तैयार नाम)	लागू नहीं
14. (क) संवोधित प्रपत्र उपलब्ध है। (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है:	(क) वेब लिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नहीं

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीत ने दिनांक **24 जनवरी, 2023 को सूच्यांशक रिसेसॉज प्राइवेट लिमिटेड** के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण **07 फरवरी, 2023** को अथवा पूर्व अतिरिक्त समाधान प्रोफेशनल के सम्मक्ष ऊपर आबद्धन 10 के संस्था वर्णित पत्रे पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

नितीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। (अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों में प्रस्तुत कर सकते हैं।)

इसके अलावा, भारतीय दिवाला और शोधन अधमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विधिमम, 2016 के विनियम 12(2) के अनुसार, एफ लेनदार, जो सार्वजनिक घोषणा में निष्धारित समय के भीतर प्रमाण के साथ दावा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वे **7 फरवरी, 2023** को या उससे पहले अतिरिक्त समाधान प्रेशनल या समाधान प्रेशनर, जैसा भी मामला हो, के पास प्रमाण के साथ दावा प्रस्तुत करेंगे।

दावे के फजीअबका धामक प्रमाण की प्रस्तुति दबनयी होगी।

देवेन्द्र उमराव अतिरिक्त समाधान प्रोफेशनल, सूच्यांशक रिसेसॉज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में (कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में) दिनांक: 27.01.2023 पंजीकरण सं.:IBBI/MPA-003/IF-N00223/2019-2020/12640 स्थान: नई दिल्ली

सम्पत्ति का विस्तृत विवरण	
आवृत्तियां प्लॉट नं. 34 वन क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर अर्थात 100.00 वर्ग गज, प्लॉट नं. 214, खसरा नं. 431, सेवा नगर, हस्तरवत घुमन घुक्कन, खाई एवं परगना लोनी, विला गावियाबाद से स्थित माप तथा सीमा निर्मातिरहित है : पूर्व : रास्ता 10 फीट चौड़ा पश्चिम : मंगल सेन का मकान उत्तर : श्री जयचम्य का मकान दक्षिण : रोहत पाल का मकान (स्वामिनि विवेक के अनुसार)	
सम्पत्ति पर ऋण भार	बैंक को ज्ञान नहीं
आंशित मूल्य	रु. 25,00,000/- (एकसे पच्चीस लाख मात्र)
ईएमवी मति	रु. 2,55,000/- (एकसे दो लाख पचास हजार मात्र)
संविदा वृद्धि मति	रु. 50,000/- (एकसे पचास हजार मात्र)
ई-नीलामी की तिथि एवं समय प्लेटफॉर्म ई-नीलामी सेवा प्रदाता https://www.mscecommerce.com/auctionhome/ibap/	28-02-2023 (11.00 बजे पूर्व। से 3.00 बजे अप. के बीच)
सम्पत्ति आईडी सं.	IDIBH0025UDESHO1
सम्पर्क व्यक्ति का नाम	श्री सुरेश पाल, मोबाइल नं. 96500338721
संविदाकर्ता को ऑनलाइन संविदा में भाग लेने के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता एम्पएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mscecommerce.com देखने का परामर्श दिया जाता है। तकनीकी सहायता के लिए कृपया एम्पएसटीसी के हेल्पडेस्क नं. 033-22901004 तथा सेवा प्रदाता के हेल्प डेस्क नं उपलब्ध अन्य हेल्पलाइन नम्बरों पर सम्पर्क करें। एम्पएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकरण की स्थिति के लिए कृपया ibapinfo@mscecommerce.com पर सम्पर्क करें। सम्पत्ति के विवरण तथा सम्पत्ति के फोटोग्राफ एवं नीलामी के नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://ibapi.in तथा इस पोर्टल से सम्बन्धित स्पष्टीकरण के लिए कृपया हेल्प लाइन नम्बर '18001025026' तथा '011-41106131' पर सम्पर्क करें।	
तिथि : 23.01.2023 स्थान : मेरठ	

अधिकृत प्राधिकारी, इंडियन बैंक

मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लिमिटेड

आईबीसी, 2016 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना				
आईबीसी, 2016 के तहत बिक्री सूचना				
मैसर्स आरएस इंगोट एंड बिलेट प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)				
CIN : U27100DL2012PTC240299				
पंजीकृत कार्यालय (एमसीए फ़ील्डों के अनुसार): 401 महावीर जी कॉम्प्लेक्स, एलएससी, ऋधम बिहार नई दिल्ली नई दिल्ली-110092				
परिसमापक कार्यालय : सीएस-14, असल प्लाजा, वैशाली, गाजियाबाद- 201010				
संपर्क व्यक्ति : आराधना सिंह, मोबाइल नंबर : 8920352845				
ई-नीलामी की तिथि : 6 जनवरी, 2023				
परिसमापक द्वारा परिसमापन संपदा का हिस्सा बनने वाली मैसर्स आरएस इंगोट और बिलेट प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) की परिसंपत्तियों की बिक्री माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली खंडोलीप ने सीबी (आईसी)-274 (पीबी) / 2019 में दिनांक 05.05.2022 के आदेश के तहत एक प्रस्ताव दिया है। यह बिक्री अयोधस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी https://www.eauctions.co.in/ के माध्यम से की जाएगी।				
विवरण	ई-नीलामी की तारीख और समय	आरक्षित मूल्य (आईएसआर)	ईएमवी राशि जमा करना	बोली बृद्धिशील मूल्य
ब्लॉक-1 : औद्योगिक प्लॉट 14,805 वर्ग मीटर का है। प्लॉट नं. ए-21 और 22, सधरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सधरिया, जौनपुर, यूपी पर स्थित है।	24.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक) प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार है।	रु. 2,97,52,313/-	रु. 29,75,231/- 22.02.2023 को या उससे पहले, दोपहर 12:00 बजे से पहले	रु.1,00,000/-
1. निरीक्षण की तिथि: 12 फरवरी, 2023 से 20 फरवरी, 2023 (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) परिसमापक को पूर्व सूचना के साथ। ईएमवी जमा करने की अंतिम तिथि: 22 फरवरी, 2023				
2. ईएमवी को 22 फरवरी, 2023 को या उससे पहले डिमांड ड्राएफ्ट / एनईएफटी / आरटीजीएस / वेक के माध्यम से नीचे उल्लिखित बैंक खाते में जमा किया जाएगा। खाता संख्या: 922020027484455, लक्ष्मी का नाम: आरएस इंगोट और बिलेट प्राइवेट लिमिटेड – परिसमापन में, आईएफएससी कोड: UTIB00000372, बैंक का नाम: एक्सिस बैंक शाखा: कडकडगुमा शाखा				
3. विस्तृत नियम और शर्तें ई-नीलामी प्रक्रिया दर्तावेज में उपलब्ध हैं, जिन्हें 27 जनवरी, 2023 को ई-नीलामी एजेंसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।				
4. अभिसंधि पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 10 फरवरी, 2023				
5. योग्य बोलीदाताओं की घोषणा: 12 फरवरी, 2023				
6. यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि मैसर्स आरएस इंगोट और बिलेट प्राइवेट लिमिटेड उपर्युक्त लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉट संख्या ए-21 और 22, ए-25, ए-26 और 27 के कब्जेदार हैं, जो अभिनवा स्टैस एंड पावर लिमिटेड के नाम पर हैं।				
7. इस बिक्री नोटिस को पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दर्तावेज के साथ पड़ा जाएगा जिसमें परिसंपत्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली पत्र, घोषणा और उपक्रम फॉर्म, ई-नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें शामिल हैं, जो वेबसाइट https://www.eauctions.co.in/ पर उपलब्ध हैं। आप किसी भी संधर्भन और सहायता के लिए श्री दीक्षित प्रजापति से 7874138237 / 9870099713 और ईमेल आईडी: admin@eauctions.co.in पर संपर्क कर सकते हैं, यदि आवश्यक हो।				
देवाशीष चंदा				
परिसमापक, आरएस इंगोट एंड बिलेट प्राइवेट लिमिटेड				
आईबीबीआई पंजीकरण संख्या: IBBI/MPA-003/IF-N00040/2017-18/10316				
पता: सीएस-14, सी प्लोर, असल प्लाजा, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश				
ईमेल आईडी: iquidatorrsingot@gmail.com, dndaand@gmail.com				

मूथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय सी.पी.नं. 14/ 2074-7, मुम्बई महानगर, पुणेनगर मार्ग, तिरुवनन्तपुरम-696 034,
सीआरपीएन नं. – 965022/एनएचपी/एनपी/025624, निगमिता कार्यालय 12/ 01, 13वां तल, परित्ति केरलेशो,
मुम्बई सं. सीआर 3 एवं सीआ. नं.वां. कुलुं कं.प्लेक्स-एबी ब्लॉक (एडू), मुम्बई-400051, दूरभाष सं. 022-627226517
प्राधिकृत अधिकारी ईमेल आईडी: authorised.officer@muthoot.com,
संकेत हेतु विवरण गोपित रूप संख्या – 9212443181

सार्वजनिक सूचना – संपत्ति की नीलामी-सह-विक्रय

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

क्र.सं.	का नाम एवं प्लानर	संपत्ति का विवरण	आधिकारण प्राधिकरण एवं तिथि	कुल बकाया राशि (रु.) नादी बाका लागू	आरक्षित मूल्य (रु.)	घराज. (रु.)
1.	एलएएन नं.: 15100002238 श्याम लाल धर्मंद कुमार	संपत्ति के समस्त यह भाग तथा अर्ध जो प्लेट नं. बी-213 के रूप में दियेत तब पर, टॉउन नं. 16, ब्लॉक नं. 16, दिनेश पुरम मोहल्ल समुपुर्न मिलवुल के समीप, परगना-डसरना, तहसील- मोलाना, जयपुर-हाउस, उत्तर प्रदेश – 245304 में स्थित है जिसका क्षेत्र अधिकृत क्षेत्रफल 975 वर्ग फुट है।	भारतीय अधिग्रहण-16-दिसंबर -2022	रु.11,37,747/- रु. 25-जनवरी-2023 के अनुसार	9,36,000/-	93,800/-

निरीक्षण तिथि एवं समय : 10 जनवरी 2023 तथा 11 फरवरी 2023 को 10:00 बजे से 05:00 बजे
नीलामी तिथि : 28 फरवरी 2023 को 10:00 बजे से 03:00 बजे से तथा बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 27 फरवरी 2023

बिक्रय स्थल गाजियाबाद शाखा : प्रथम तल, एलजीएफ बी-2, आरखीसी, राजनगर, एस्बीआई बैंक के समीप, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मूथूट हाउसिंग फाईनेंस कंपनी लि. (यहां इसके उपराल "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने अवधिनिर्धारित संपत्तियों (यहां इनमें इसके उपराल "प्रतिभूति परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) का अधिग्रहण कर लिया है और इसे निम्न वर्णित ग्राहकों (यहां इसमें इसके उपराल "क्रेडिटार्थों" के रूप में संदर्भित) को स्वीकृत आवसतन कर प्रतियुक्तों के संर्जन में प्रतिभूति के रूप में अपने प्रायः सुवर्धित रूप लिया है और अब आगे यह निम्नित किया गया है कि ऋणकर्ताओं से अधिदत्त का अंतिम गुमानन होने तब निम्न राशि के अनुसार प्रतिभूत ऋण राशि और इस राशि पर लागू होने के ब्याज व व्ययों के संर्जन में जन्मा से ग्राहकवर निविदाएं आमंत्रित करने द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "निम्न संरक्षण" आधार/ब्यां पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्रय कर दिया जाये।

इच्छुक बोलीदाताना कर्मा अधिकृतप्राप्त तिथि एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों का बिक्रय
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में समाविष्ट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत